केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आँचलिक कार्यालय (उत्तर)

पिकप भवन, गोमती नगर

लखनऊ

निविदा सूचना

विषयः– हाउस कीपिंग हेतु एजेन्सी नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठ्न है। केन्द्रीय बोर्ड के आँचलिक कार्यालय (उत्तर) पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तो के अनुसार प्रशिक्षित तथा अनुभवी मासिक वेतन के आधार पर वर्तमान में 02 सफाई कर्मियों की आवश्यकता है।

<u>नियम व शर्ते निम्न हैं –</u>

1. एर्जेसी का दायित्व –एर्जेसी निर्धारित उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी किये गये न्यूनतम मजदूरी दर के साथ ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवाकर, सर्विस चार्ज का विवरण स्पष्ट रूप से दें।
2. एजेन्सी मांग के अनुसार प्रशिक्षित तथा अनुभवी दैनिक/मासिक वेतन के आधार पर सफाई कर्मी तथा आवश्यकतानुसार मैनपावर उपलब्ध करायेगी। सफाई कर्मी (अकुशल श्रेणी) का होना चाहिए।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार सफाई कर्मी को बदला या हटाया जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एर्जेसी को निर्धारित दर पर भुगतान मासिक बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। यदि अनुबंध के नियम व शर्तो के अनुसार बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भुगतान किसी स्थिति में नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त स्टॉफ की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर एर्जेसी को उपलब्ध कराना होगा।

4. सफाई कर्मी के लिए नियम, आने व जाने का समय (08 AM – 05 PM) आदि कार्यालय के नियमानुसार मान्य होंगें।

5. एर्जेसी को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मचारी को भविष्यनिधि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।

6. एर्जेसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मचारी से सम्बन्धित सभी नियम, सेवा शर्तें, भुगतान, उपस्थिति, अनुशासनात्मक मामलों में पूर्ण रूप से एर्जेसी के प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण में रहेंगें। वे एर्जेसी के समय–समय पर लागू होने वाले नियम व कानूनों के अनुसार कार्य करेंगें।

7. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी परिस्थिति में सफाई कर्मचारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी नहीं माने जायेंगें तथा उक्त कर्मचारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एर्जेसी की होगी। एर्जेसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी किसी भी दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रोजगार एवं भुगतान इत्यादि की मॉँग नहीं करेंगें।

8. भुगतान केवल एर्जेसी को क्रॉस एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में एडवांस भुगतान नहीं किया जायेगा। एर्जेसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर सत्यापन उपरान्त अगले माह की 10 तारीख या उससे पहले भुगतान किया जायेगा। आयकर नियम के अनुसार आवश्यक टी.डी.एस. भी मासिक बिल से काटा जायेगा।

9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों के मध्य तय राशि के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/भुगतान/राशि किसी भी रूप में देय नहीं होगी।

10. एर्जेसी को कार्य करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लिखित रूप से आवश्यक होगी। कॉन्ट्रेक्ट (संविदा) की अवधि एक वर्ष (अवार्ड पत्र जारी होने की तिथि से) होगी। इसे सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार समाप्त होने से पहले आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एर्जेसी द्वारा अपेक्षित सेवा न देने अथवा अपेक्षित कागजात उपलब्ध न कराने की स्थिति में कॉन्ट्रेक्ट की अवधि कम या रद्द भी किया जा सकता है।

11. नियुक्ति से पहले सफाई कर्मचारी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। कर्मचारियों की उपस्थिति कम होने पर बिल में से भुगतान समतुल्य (Proportionate) काट लिया जायेगा। कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में कोताही बरतने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होने वाले नुकसान को दोनों पक्षों की जाँच के पश्चात् एजेंसी के बिल से काटकर पूरा किया जायेगा। नुकसान की राशि किसी महीने के बिल से अधिक होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

12. एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी नियुक्त सफाई कर्मियों के चरित्र, चालचलन, पहचान पत्र की प्रमाणिकता आदि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पेश करे।

13. निविदा दाता को ई.एम.डी. राशि के रूप में ₹2,000/- (रूपये दो हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" लखनऊ के पक्ष में देय हो, जमा करना आवश्यक है। बिना ई.एम.डी. राशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. निविदा में गैर चयनित एजेंसियों को ई.एम.डी. राशि (एजेंसी चयनित होने या निविदा खुलने की तिथि के तीन माह (जो पहले हो) के अन्दर) बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा चयनित एजेंसी की राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी। करार खत्म होने के पश्चात् यह राशि बिना ब्याज के उक्त एजेंसी को वापस कर दी जायेगी।

15. चयन होने की स्थिति में एजेंसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमानत राशि (सिक्युरिटी मनी) ₹ 5,000/- जमा करानी होगी जो सफाई कर्मी द्वारा ड्यूटी पर कोताही बरतने की स्थिति में, चोरी या सम्पत्ति का अन्य नुकसान की बतौर भरपाई होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

16. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी बढ़ोत्तरी दर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के उपरान्त ही संशोधित की जा सकती है।

17. संविदा के दौरान करार को कभी भी एक माह के पूर्व नोटिस द्वारा अथवा किसी भी समय (एजेंसी को एक माह के भुगतान द्वारा) रद्द किया जा सकता है।

18. प्रत्येक सफाई कर्मी को दिये जाने वाले न्यूनतम मजदूरी, अन्य वैधानिक देय जैसे कर्मचारी राज्य बीमा शुल्क, कर्मचारी भविष्य निधि आदि का विस्तृत ब्यौरा समय–समय/मासिक आधार पर कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

19. निविदादाता आवश्यक रूप से नोट करें कि मात्र न्यूनतम मजदूरी दर पर होना ही चयन की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी संगठन/पब्लिक सेक्टर यूनिट/स्वायत्तशासी संगठन में हाउस कीपिंग/मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वर्तमान में 03 या अधिक सरकारी कार्यालयों के साथ कार्य करने वाले ऐजेन्सी को वरीयता दी जायेगी। वर्तमान कार्य के साक्ष्य के संबंध में निविदादाता को अपने अनुबंध पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

20. **<u>एजेंसी को निम्न प्रमाण–पत्र/पंजीकरण पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक है–</u>**

क) सरकारी संगठन/पब्लिक सेक्टर यूनिट/स्वायत्तशासी संगठन में हाउस कीपिंग कार्य कराने का 02 वर्ष का अनुभव पत्र तथा साथ ही वर्तमान में 02 या अधिक सरकारी करार का प्रमाण–पत्र।

ख) रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ में पंजीकरण

ग) कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण पत्र

घ) सेवाकर पंजीकरण पत्र

च) जिन संस्थाओं के साथ काम किया है/कर रहे हैं, की सूची

छ) फर्म/ फर्म मालिक का स्थायी खाता सं0 (P.A.N.)

ज) पिछले 02 वर्ष की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ESIC) की स्टीच्युरि रिटर्न्स

झ) ₹2,000/–(दो हजार मात्र) की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नाम देय हो।

21. निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में एकल स्तर लिफाफा के द्वारा जमा करनी है। लिफाफे के ऊपर हाउस कीपिंग/मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व पात्रता की तकनीकी बिड सं. .... दिनांक .... अंकित करे। दूसरे लिफाफे के अन्दर एजेंसी द्वारा मूल्य की घोषणा की जायेगी और लिफाफे के ऊपर साफ

अक्षरों में मैनपावर सेवा (सफाई कर्मी) उपलब्ध कराने हेतु मूल्य विड सं. .... दिनांक .... अंकित करें। दोनों सील लिफाफों को एक लिफाफे के अन्दर रखें जिस पर बड़े साफ अक्षरों में सफाई कर्मी सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा दिनांक .... अंकित हो। पूर्ण रूप से भरी तथा सील की गयी निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 में दिनांक 05.12.2011 सांय 5 बजे तक भेजी जानी है।

21. चयनित एजेन्सी को केन्द्रीय बोर्ड के साथ सेवा हेतु विभिन्न शर्तो के साथ अनुबन्ध करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

22. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एजेंसी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

17/XI

(प्रशासनिक अधिकारी)